::आदेश::

कोविड–19 के New Variant- B.1.1.529- 'Omicron' को World Health Organization (WHO) नें Variant of Concern (VoC) घोषित किया है, जो तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। इस सन्दर्भ में सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या Z.28015/318/21-EMR दिनांक 21.12.2021 में ऑमिक्रान के प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड–19 के New Variant-B.1.1.529- 'Omicron' की रोकथाम के दृष्टिगत दिनांक 25.12.2021 को क्रिसमस तथा दिनांक 31.12.2021 व 01.01.2021 को नव–वर्ष के अवसर पर जनपद देहरादून हेतु निम्न दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

1– जिन होटलों में पर्यटकों/अतिथियों द्वारा नव–वर्ष 2021 के दृष्टिगत पूर्व से कक्ष आरक्षित कराये गये हैं, केवल ऐसे पर्यटक ही नववर्ष कार्यक्रम के अनुसार समाजिक दूरी बनाये रखते हुए सादे समारोह में केवल 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ मना सकेगें। होटल स्वामियों द्वारा होटल के कमरे एवं परिसर को नियमित रूप से सैनेटाइज करना सुनिश्चित करेंगें। कोविड–19 New Variant- B.1.1.529- 'Omicron' संक्रमण की रोकथाम हेतु समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में सम्बंधित होटल स्वामी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित कर दी जायेगी।

2– अन्य राज्य से पर्यटकों/अतिथियों द्वारा रिपोर्ट (आगमन की तिथि से 72 घण्टे की RTPCR Negative रिपोर्ट अथवा डबल डोज वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।

3– कोविड–19 New Variant- B.1.1.529- 'Omicron' संक्रमण रोकथाम हेतु समस्त आयोजनों की अवधि रात 10 बजे तक ही सीमित होगी।

4– Micro Containment Zone में किसी भी प्रकार के आयोजन संबंधी गतिविधियां पूर्णतः वर्जित रहेंगी।

Scanned with CamScanner

अतः उक्त के क्रम में आदेशित किया जाता है कि कोविड–19 के New Variant- B.1.1.529- 'Omicron' की रोकथाम के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशो का अक्षरशः कडाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेशों का उल्लघन करने की स्थिति में सम्बंधित के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, Covid-19 Regulation, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

यह आदेश शासन द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशो के अधीन होगा तथा तदनुसार संशोधित किया जायेगा।

24/12/2021

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून

पत्रांक 5899/डी0डी0एम0ए0/2021–22 दिनांक 24 दिसम्बर 2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी।
4– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
5– मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
6– अपर जिलाधिकारी (प्र0)/(वि0/रा0) देहरादून।
7– समस्त उपजिलाधिकारी जनपद देहरादून।
8– मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
9– जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।
10–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश जनपदीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

24/12/2021

जिला मजिस्ट्रेट
देहरादून

Scanned with CamScanner